

अनुलग्नक

अनुलग्नक I

(पैराग्राफ 3.2(ii) (क) में संदर्भित)

दक्षिण जिले में उपकर के लिए गणना पत्रक

भवन का प्रकार: वाणिज्यिक परिसर

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निर्माण वस्तुओं/शीर्ष का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में.	निर्धारिती द्वारा घोषित निर्माण की लागत	श्रम सचिव के आदेश दिनांक 02-01-2006 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्माण की लागत	उपकर की गणना के उद्देश्य से ली गई निर्माण की अंतिम लागत (उच्चतर)	निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्माण की लागत (उच्चतर)
1	कुल निर्मित छतदार क्षेत्र (मेज़ानाइन फ्लोर सहित 4 मंज़िल तक)	4,715.76	3,87,99,040	4,715.76 x 20,000 = 9,43,15,200	9,43,15,200	3,87,99,040
2	अतिरिक्त निर्मित छतदार क्षेत्र (4 मंज़िलों से परे)	623.92	55,45,251	623.92 x 20,000 = 1,24,78,400	1,24,78,400	55,45,251
3	तहखाने का कुल निर्मित छतदार क्षेत्र	1,283.71	1,58,42,637	1,283.71 x 20,000 = 2,56,74,200	2,56,74,200	1,58,42,637
4	मरम्मत/परिवर्तन/रखरखाव के मामले में सिविल कार्य की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	ढहाने की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	फर्श का प्रकार और कुल क्षेत्रफल	8,400	72,23,771	शून्य	शून्य	72,23,771
7	काष्ठ दिलहाबंदी कार्य की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	काष्ठ दिलहाबंदी को छोड़कर काष्ठ कर्म की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	कृत्रिम छत कार्य की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	केंद्रीय वातानुकूलन की लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	लिफ्ट संस्थापन की लागत	शून्य	51,92,641	शून्य	शून्य	51,92,641
12	रेलिंग/गेट सहित चारदीवारी की लागत	शून्य	42,25,722	42,25,722	42,25,722	42,25,722

क्रम सं.	निर्माण वस्तुओं/शीर्ष का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में.	निर्धारित द्वारा घोषित निर्माण की लागत	श्रम सचिव के आदेश दिनांक 02-01-2006 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्माण की लागत	उपकर की गणना के उद्देश्य से ली गई निर्माण की अंतिम लागत (उच्चतर)	निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई निर्माण की लागत (उच्चतर)
13	तरणताल की कुल लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	फिटिंग और फिक्सचर के साथ बिजली के काम की लागत (क्रम संख्या 1+2+3 के 15% पर लागत की गणना की गई है)	शून्य	92,55,217	शून्य	शून्य	92,55,217
15	फिटिंग और फिक्सचर के साथ नलसाज़ी कार्य की लागत (क्रम संख्या 1+2+3 के 10% पर लागत की गणना की गई है)	शून्य	60,92,521	शून्य	शून्य	60,92,521
16	सीवरेज, बाहरी सड़कों, संपर्क मार्गों, अग्निशमन, भू-दृश्य निर्माण आदि सहित अन्य विकास कार्यों की लागत	शून्य	81,89,852	81,89,852	81,89,852	81,89,852
कुल लागत			10,03,66,652		14,48,83,374	10,03,66,652

निर्माण लागत में अंतर (₹ 14,48,83,374 - ₹ 10,03,66,652) = ₹ 4,45,16,722

₹ 4,45,16,722 के 1% पर उपकर = ₹ 4,45,167

अनुलग्नक II
(पैराग्राफ 3.3(iii) में संदर्भित)

श्रम उपकर के विलंबित जमा का विवरण

वर्ष	जिन महीनों में संविदाकारों के बिलों से श्रम उपकर काटा गया था	संविदाकारों के बिलों से काटे गए श्रम उपकर की कुल राशि	बोर्ड को श्रम उपकर के प्रेषण की तिथि	प्रेषण में विलंब
उत्तर पश्चिम भवन प्रभाग, पीडब्ल्यूडी				
2019-20	अप्रैल	8,310	20.06.2019	1 महीना
	अगस्त	3,27,575	01.11.2019	1 महीना
	दिसंबर से जनवरी	4,25,713	31.03.2020	1 से 2 महीने
2020-21	अप्रैल से जनवरी	12,41,024	31.03.2021	1 से 10 महीने
2021-22	अप्रैल से जनवरी	33,60,962	31.03.2022	1 से 10 महीने
2022-23	अप्रैल से जनवरी	36,99,014	28.04.2023	1 से 11 महीने

साउथ रोड प्रभाग-2 (एम-411) प्रभाग, पीडब्ल्यूडी

2019-20	अप्रैल से मार्च	21,37,369	04.07.2020	2 से 13 महीने
2020-21	जुलाई से जनवरी	13,57,092	31.03.2021	1 से 7 महीने
2021-22	अप्रैल से जनवरी	31,12,415	31.03.2022	1 से 10 महीने
2022-23	अप्रैल से अगस्त	18,61,425	31.10.2022	1 से 5 महीने
	अक्टूबर से नवंबर	2,82,482	24.01.2023	1 से 2 महीने
	जनवरी	3,03,555	31.03.2023	1 महीना

सिविल प्रभाग-VI, आईएफसीडी

2019-20	जनवरी से मई	30,41,949	16.07.2019	1 से 5 महीने
	नवंबर	6,45,469	14.02.2020	1 से 2 महीने
	फरवरी से मार्च	29,71,411	06.11.2020	6 से 7 महीने
2020-21	जुलाई से अगस्त	8,54,199	06.11.2020	1 से 2 महीने
	अक्टूबर से जनवरी	77,43,235	31.03.2021	1 से 4 महीने
2021-22	मई से सितंबर	21,29,851	04.12.2021	1 से 5 महीने
	जनवरी	23,47,150	31.03.2022	1 महीना
2022-23	मई से नवंबर	81,41,388	10.02.2023	1 से 7 महीने
	फरवरी और मार्च	38,48,561	अभी तक प्रेषित किया जाना शेष है (अगस्त, 2023)	4 से 5 महीने

सिविल प्रभाग-V, आईएफसीडी

2019-20	जुलाई से अगस्त	28,86,810	05.11.2019	1 से 2 महीने
	नवंबर से जनवरी	35,72,178	31.03.2020	1 से 3 महीने
2020-21	जुलाई से अगस्त	2,68,239	10.11.2020	1 से 2 महीने
	नवंबर	6,12,207	28.01.2021	1 महीना
2021-22	मई से जुलाई	17,30,924	20.09.2021	1 से 3 महीने
	सितंबर से जनवरी	37,41,256	29.03.2022	1 से 5 महीने
2022-23	मई से जुलाई	12,07,862	20.09.2022	1 से 3 महीने
	सितंबर से अक्टूबर	55,16,981	16.12.2022	1 से 2 महीने
	दिसंबर से जनवरी	17,71,048	29.03.2023	1 से 2 महीने

दक्षिण-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	अक्टूबर	42,617	04.01.2020	1 महीना
	फरवरी से मार्च	1,81,000	22.08.2020	4 से 5 महीने
2022-23	मई से अगस्त	7,13,404	01.11.2022	1 से 4 महीने

एसडीडब्ल्यू-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	अगस्त से दिसंबर	1,70,339	26.02.2020	1 से 5 महीने
	मार्च	84,026	01.09.2020	4 महीने
2020-21	नवंबर	1,83,707	30.01.2021	1 महीना

उत्तर पश्चिम-I प्रभाग, डीजेबी

2019-20	जून से जुलाई	3,31,098	16.09.2019	1 से 2 महीने
	सितंबर से मार्च	14,11,969	25.11.2020	7 से 13 महीने
2020-21	अगस्त से सितंबर	3,86,135	25.11.2020	1 से 2 महीने
	दिसंबर से मार्च	15,58,426	01.11.2022	18 से 21 महीने
2021-22	जून से मार्च	27,59,088	01.11.2022	6 से 15 महीने
2022-23	अप्रैल से जुलाई	13,74,482	14.10.2022	1 से 4 महीने

अनुलग्नक III
(अध्याय 4 में संदर्भित)

लाभार्थियों तथा कल्याणकारी योजनाओं और गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1.	प्रसूति हितलाभ (नियम 271)	7	2,10,000	230	67,60,000	758	2,25,70,000	1,926	5,78,00,000
2.	गर्भपात के मामले में वित्तीय सहायता (नियम 271 {ए})	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	पेंशन हितलाभ (नियम 273)	200	66,47,131	364	3,80,71,267	481	3,90,30,090	415	3,03,55,593
4.	घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	अशक्तता पेंशन	0	0	0	0	5	9,02,000	1	2,16,000
6.	स्थायी अशक्तता के मामले में अनुग्रह राशि का भुगतान (नियम 275)								
7.	कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	कार्य से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान (नियम 276 {ए})	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	अंतिम संस्कार सहायता (नियम 277)	120	11,35,000	117	10,35,000	277	26,95,000	200	19,95,000

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
10.	मृत्यु हितलाभ (नियम 278) (क) स्वाभाविक मृत्यु (ख) दुर्घटना में मृत्यु	126	1,22,56,860	124	1,17,58,752	302	2,95,72,258	230	2,29,63,740
11.	चिकित्सा सहायता (नियम 280)	0	0	4	15,400	182	9,43,840	0	0
12.	शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 281) एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से वित्तीय सहायता	10	4,03,033	150	88,54,112	194	1,25,66,255	53	46,86,124
		*43,747	31,96,37,197					**14,844	11,46,72,329
13.	विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282)	18	9,38,000	31	14,88,000	67	34,10,000	78	38,28,000
14.	परिवार पेंशन (नियम 283)	0	0	1	1,00,387	1	18,764	1	18,000
15.	डीटीसी नॉन ए.सी. बस में यात्रा पास (नियम 283 {सी})	0	0	0	0	0	0	2,152	48,08,789
16.	कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अकादमी का निर्माण (नियम 283 {ए})	0	13,54,080	0	0	0	0	0	***15,76,000
17.	बीमा पॉलिसी (नियम 286)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	कोविड-19 के दौरान अनुग्रह राशि का भुगतान और दिल्ली में प्रदूषण के कारण सन्निर्माण गतिविधियों पर रोक	32,358	14,58,95,000	45,966	30,00,65,000	5,75,753	446,09,30,000	41,434	36,73,40,000

क्रम. सं.	योजनाओं के नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि	दावों/कर्मकारों की संख्या	भुगतान की गई राशि
19.	कोविड-19 के दौरान सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध कराया गया भोजन	0	0	0	0	0	67,57,118	0	4,54,897
20.	कर्मकार जागरूकता (कर्मकारों में जागरूकता के लिए विज्ञापन, पत्रक, एसएमएस, कर्मकारों के पंजीकरण और नवीकरण के लिए शिविर आयोजित करने हेतु लैपटॉप/प्रिंटर किराए पर लेने हेतु व्यय)		4,27,429		13,88,809		14,13,033		3,76,656
	कुल		48,89,03,730		36,95,36,727		458,08,08,358		61,10,91,128

*यह डेटा 2017-18 की अवधि के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से संबंधित है।

** यह डेटा 2018-19, 2019-20 की अवधि के लिए शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से संबंधित है।

***पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय को दिया गया अग्रिम।

